POLICE COMMISSIONERATE

GAUTAM BUDH NAGAR

सराहनीय कार्य /प्रेस विज्ञप्ति - दिनाकं 07.02.2025

1. थाना साइबर क्राइम नोएडा पुलिस द्वारा व्हाट्सअप पर इन्वेस्टमेंट कर लाभ कमाने का झांसा देकर वादिनी से 78,00,000 रुपए की धोखाधड़ी/ठगी करने वाला 01 साइबर अपराधी गिरफ्तार।

कार्यवाही का विवरण-- दिनांक **07-02-2025** को **थाना साइबर क्राइम नोएडा पुलिस** द्वारा लोकल इंटेलिजेंस एवं गोपनीय सूचना के आधार पर कार्यवाही करते हुए टास्क पूराकर इन्वेस्टमेंट कर लाभ कमाने का झांसा देकर 78,00,000 रुपए की धोखाधड़ी/ठगी करने वाला 01 साइबर अपराधी अचल वर्मा पुत्र स्व0 पन्नालाल वर्मा को गाँव होशियारपुर सेक्टर 52 नोएडा से **गिरफ्तार** किया गया है।

घटना का संक्षिप्त विवरण-- थाना साइबर क्राइम नोएडा पर अज्ञात साइबर अपराधी द्वारा व्हाट्सएप के माध्यम से वादिनी से संपर्क किया गया और व्हाट्सअप पर जोड़कर टास्क पूराकर लाभ कमाने का झांसा देकर 78,00,000 रुपए की धोखाधड़ी/ठगी करने के सम्बन्ध में मु0अ0सं0 127/2023 धारा 420 आईपीसी व 66 डी आईटी एक्ट पंजीकृत किया गया। विवेचना के क्रम में ज्ञात हुआ कि गिरफ्तार अभियुक्त अचल वर्मा पुत्र स्व0 पन्नालाल वर्मा के खाते में धोखाधड़ी से सम्बन्धित धनराशि ट्रांसफर हुयी हैं। अभियुक्त अचल वर्मा के खाते में 10,00,000 रुपये फ्रीज कराये गए है, उपरोक्त अभियोग में अन्य खातों से अब तक 30,00,000 रुपए की धनराशि वापस करायी जा चुकी है, शेष धनराशि वापस कराये जाने की कार्यवाही प्रचलित हैं। अभियुक्त अचल वर्मा के बैंक खाते के विरुद्ध एनसीआरपी पर कुल 54 शिकायते विभिन्न राज्यों से होना पाया गया है, जो मुख्य अभियुक्त है। थाना साइबर क्राइम नोएडा के एक अन्य अभियोग 141/2023 में भी अभियुक्त की संलिप्तता पायी गयी है। अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे है।

पंजीकृत अभियोग का विवरण--

1. मु0अ0सं0 127/2023 धारा 420 आईपीसी व 66 डी आईटी एक्ट

2. थाना जारचा पुलिस द्वारा रात्रि में बंद मकानो का ताला तोडकर चोरी करने वाले 02 चोर गिरफ्तार, कब्जे से एक कटर (लोहा काटने वाला), एक प्लास, एक पेचकस, 65 हजार रुपये नकद, दो आधार कार्ड बरामद।

कार्यवाही का विवरण-- दिनांक **07.02.2025** को **थाना जारचा पुलिस** द्वारा लोकल इंटेलिजेंस एवं गोपनीय सूचना के आधार पर कार्यवाही करते हुये बंद घरो का ताला तोडकर चोरी करने वाले 02 अभियुक्तों 1.दीपचन्द पुत्र बनारसी 2. शीबू पुत्र इतवारी को ग्राम ऊंचा अमीरपुर से खगौंड़ा जाने वाले रास्ते से **गिरफ्तार** किया गया है।

घटना का विवरण-- अभियुक्तों द्वारा ग्राम सीदीपुर में दिनांक 15.01.2025 को चोरी की घटना को तथा ग्राम गुलावठी में दिनांक 17.12.2024 को भी चोरी की घटना को अंजाम दिया था। उक्त घटना के सम्बन्ध में थाना जारचा पर क्रमशः 1. मु0अ0सं0 11/2025 धारा 305/331(4)317(2) बीएनएस 2. मु0अ0स0 232/2024 धारा 305/331(4)317(2) बीएनएस थाना जारचा जनपद गौतमबुद्धनगर पंजीकृत किया गया था।

अभियुक्त का विवरण--

1. दीपचन्द पुत्र बनारसी निवासी ग्राम दहरा थाना धौलाना जनपद हापुड उम्र 40 वर्ष
2. शीबू पुत्र इतवारी निवासी ग्राम दहरा थाना धौलाना जमपद हापुड उम्र 45 वर्ष

पंजीकृत अभियोग व आपराधिक इतिहास का विवरण--

- अभियुक्त दीपचन्द--

1. मु0अ0सं0 11/2025 धारा 305/331(4)317(2) बीएनएस बीएनएस थाना जारचा जनपद गौतमबुद्धनगर
2. मु0अ0स0 232/2024 धारा 305/331(4)317(2) बीएनएस थाना जारचा जनपद गौतमबुद्धनगर
3. मु0अ0सं0 142/10 धारा 147/148/149/302 भादवि थाना जारचा गौ0बु0नगर
4. मु0अ0सं0 027/92धारा 414 भादवि थाना इन्द्रापुरम गाजियाबाद
5. मु0अ0सं0 2260/10 धारा 379/411 भादवि थाना इन्द्रापुरम गाजियाबाद
6. मु0अ0सं0 2785/10 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना इन्द्रापुरम गाजियाबाद
7. मु0अ0सं0 011/11 धारा 2/3 गैंगस्टर एकट् थाना इन्द्रापुरम गाजियाबाद

- अभियुक्त शीबू--

1. मु0अ0सं0 11/2025 धारा 305/331(4)317(2) बीएनएस बीएनएस थाना जारचा जनपद गौतमबुद्धनगर
2. मु0अ0स0 232/2024 धारा 305/331(4)317(2) बीएनएस थाना जारचा जनपद गौतमबुद्धनगर
3. मु0अ0स0 403/2020 धारा 307/379/401/414/420 भादवि थाना धौलाना जनपद हापुड
4. मु0अ0स0 411/2020 धारा 307/379/401/414/420 भादवि थाना धौलाना जनपद हापुड
5. मु0अ0स0 412/2020 धारा 25/27 आर्म्स एक्ट भादवि थाना धौलाना जनपद हापुड़

6. मु0अ0स0 338/2020 धारा 379/411 भादवि थाना जहाँगीराबाद जनपद बुलन्दशहर

बरामदगी का विवरण--

एक कटर (लोहा काटने वाला), एक प्लास, एक पेचकस, 65 हजार रुपये नकद, दो आधार कार्ड बरामद।

3. थाना जेवर पुलिस द्वारा चाय पत्ती से भरे कन्टेनर को चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुये 03 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, कब्जे से चाय पत्ती से भरा कन्टेनर किया बरामद।

घटना का संक्षिप्त विवरण-- दिनांक 06/02/2025 को वादी द्वारा लिखित सूचना दी कि दिनांक 30/01/2025 को सिलीगुडी पश्चिम बंगाल से ट्रक नम्बर एचआर 66 ए 8787 में टाटा कम्पनी की चाय करीब 17 टन लोड कर सापला हरियाणा के लिए चला था। दिनांक 03/02/2025 को देवेन्द्र ने उक्त ट्रक/कंटेनर को वाहन के चालक नन्दवीर पुत्र पूरन निवासी ग्राम नौपुरा थाना सादाबाद जनपद हाथरस को शराब पिलाकर अपने कब्जे में ले ली तथा सापला हरियाणा के मार्ग पर गाड़ी न ले जाकर मार्ग बदलते हुए अलीगढ़ से जेवर ले आये। वाहन के चालक नन्दवीर ने यह बात ट्रांसपोर्टर/कम्पनी के प्रबन्धक को बतायी। प्रबन्धक व उसके साथी वाहन को खोजते हुए गोपालगढ़ जेवर पर आये जहां पर उक्त वाहन नो एंट्री में खड़ा पाया गया तभी 1. देवेन्द्र उर्फ देवू पुत्र जगदीश नि0 नगला सालिकपुर थाना शिकापुर जनपद बुलन्दशहर 2. गजेन्द्र पुत्र नानकचन्द नि0 ग्राम सोलडा थाना चाँदहट जनपद पलवल हरियाणा 3. अनुज पुत्र महेश नि0 सुनपेड थाना ककोड जनपद बुलन्दशहर 4. वीरेन्द्र पुत्र राजपाल नि0 ग्राम नगला सालिकपुर थाना शिकारपुर जनपद बुलन्दशहर आये तथा अपने आप को फाईनेंस कम्पनी के कर्मचारी बताते हुए कहा कि इस वाहन पर किश्त बकाया है। इसे हम ले जायेंगे तभी ट्रांसपोर्टर/कम्पनी के प्रबन्धक अपने साथियों सहित चाय पीने चले गये तो मौका पाकर ये चारों व्यक्ति दिनांक 04/02/2025 को गोपालगढ जेवर से उक्त कन्टेनर मय चाय पत्ती के चोरी कर ले गये। जिसके सम्बन्ध मे थाना जेवर पर मु0अ0सं0 46/2025 धारा 303(2) बीएनएस बनाम देवेन्द्र सिंह आदि के विरूद्ध पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही का विवरण-- दिनांक **07/02/2025** को **थाना जेवर पुलिस** द्वारा लोकल इंटेलिजेंस एवं गोपनीय सूचना के आधार पर कार्यवाही करते हुये चोरी किये गय कन्टेनर मय 608 चाय से भरे बैग (लगभग 17 टन) को बरामद करते हुये अभियुक्तो 1. देवेन्द्र उर्फ देवू पुत्र जगदीश 2. गजेन्द्र पुत्र नानकचन्द 3. अनुज पुत्र महेश को ग्राम किशोरपुर के पास नहर पुलिया से **गिरफ्तार** किया गया है।

अभियुक्तों का विवरणः

1. देवेन्द्र उर्फ देवू पुत्र जगदीश नि0 नगला सालिकपुर थाना शिकापुर जनपद बुलन्दशहर
2. गजेन्द्र पुत्र नानकचन्द नि0 ग्राम सोलडा थाना चाँदहट जनपद पलवल हरियाणा
3. अनुज पुत्र महेश नि0 सुनपेड थाना ककोड जनपद बुलन्दशहर

पंजीकृत अभियोग का विवरण--

1. मु0अ0सं0 46/2025 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना जेवर गौतमबुद्धनगर

बरामदगी का विवरण--

1. कन्टेनर रजिस्ट्रेशन नं0- एचआर 66 ए 8787
2. 608 चाय से भरे बैग (लगभग 17 टन) कीमत करीब 32 लाख रुपये